

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या  
16/05/2023

प्रवेश तिथि  
03-02-2023

निर्णय दिनांक  
03-03-2023

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत  
निर्णय विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर निर्णय दिनांक 28.02.2022

उपस्थित:-

01- श्री दीपक मीना

-राजकीय अभिभाषक

02- श्री .....

-वकील अप्रार्थीगण

-:निर्णय:-

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच/3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के अनुसरण में सुओमोटो राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत सज्ञान लिया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के आवंटन आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/941 दिनांक 28.02.2022 जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 74 रकबा 0.58 है० किस्म बारानी 3 मे से 0.15 है० वाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर भूमि का आवंटन रामचरण मीना पुत्र श्री गंगा सहाय मीना जाति मीना निवासी ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर को किया गया है के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी अप्रार्थी दिनांक 14.02.2023 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। जवाब मे कथन किया गया है कि अप्रार्थी आराजी खसरा नं. 74 रकबा 0.58 है० किस्म बारानी 3 मे से 0.15 है० वाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर प्रार्थी अपने बुरुजुगान के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में उक्त आराजी का विधि अनुसार आवंटन किया गया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई जिसमे उन्होंने प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/941 दिनांक 28.02.2022 के द्वारा नियम विरुद्ध प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश क्रमांक प० 12-3/राजस्व/2022/8962-63 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ/टहला के प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)



भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन/नियमन में अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट मय अपनी अभिशंषा प्रस्तुत की गई, प्रकरण में वर्णित आराजी सिवायचक बारानी 3 आराजी खसरा नं. 74 रकबा 0.58 है 0 किस्म बारानी 3 में से 0.15 है 0 वाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर राजस्व रिकार्ड संवत् 2012 में गैर मुमकिन पहाड अंकित है एवं सवत् 2020 में गैर मुमकिन पहाड व नाला दर्ज रिकार्ड है। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनःस्थापन लोक हित नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/ 2021-22/941 दिनांक 28.02.2022 विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है। सुओमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस एवं अप्रार्थी आवंटनी के प्रस्तुत जवाब पर मनन किया गया तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया। आवंटनी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नं. 74 रकबा 0.58 है 0 किस्म बारानी 3 में से 0.15 है 0 वाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर पर अप्रार्थी अपने बुर्जुगान के समय से ही कब्जा काश्त में है परन्तु उक्त कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरो/फोलोअप कैम्पो में नहीं किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आवंटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पारित किये जाने चाहिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्त का समय व दिनांक अंकित नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस विधिवत तामील हुए हो इस बाबत कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है एवं जल संसाधन विभाग, खनन विभाग, वन विभाग से भी अनापत्ती प्राप्त नहीं की है। आवंटन के लिए विचारार्थ भूमि बाध परियोजना सरिस्का के अन्तर्गत आती है एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक (टी) 3131 दिनांक 03.02.2023 के अनुसार ग्राम धौलान कमाण्ड क्षेत्र में आता है। आवंटन नियम 1970 के नियम 3 के तहत कमाण्ड क्षेत्र में स्थित भूमि हेतु उक्त नियम लागू नहीं होते हैं। प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है कि उक्त आवंटन के संबंध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितता का आक्षेप अंकित किया गया है। आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रकरण में आराजी खसरा नं. 74 रकबा 0.58 है 0

2  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज.)




किस्म बारानी 3 में से 0.15 है० बाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर आवंटी भूमि हीन किसान को आवंटन किया जाने के नियम है उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/ 2021-22/941 दिनांक 28.02.2022 विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है। सुओमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुओमोटो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22 /941 दिनांक 28.02.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(जितेंद्र सिंह) (प्रथम)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)